राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–119 / 2023

डॉ. राकेश कुमावत (कर्मचारी आई.डी.– आरजेआरए201131003444)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.012023
आदेश दिनांक : 11.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में भिनाय, अजमेर में कार्यरत है। आक्षेपित आदेश दिनांक 21.12. 2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण सीएचसी सहाड़ा, भीलवाड़ा में किया गया है। उनका तर्क है कि सीएचसी, सहाड़ा, भीलवाड़ा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर श्री दिग्विजय सिंह राव कार्यरत है। ऐसे में इसके संबंध में उन्होंने सी.एम.एच.ओ. का प्रपत्र–1 की प्रति प्रस्तुत की है, जो रिकॉर्ड पर ली जाती है।

3. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। सीएचसी भीलवाड़ा प्रपत्र–1 से प्रकट होता है कि दिग्विजय सिंह राव का पदस्थापन सीएचसी सहाड़ा में नहीं है, बल्कि सीएचसी पोटलन ब्लॉक सहाड़ा, भीलवाड़ा में है।, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सी.एम.एच.ओ. भीलवाड़ा के प्रपत्र–1 के आधार पर यह प्रकट होता है कि सीएचसी सहाड़ा में एस.एम.ओ. के पद पर दिग्विजय सिंह राव कार्यरत नहीं है, बल्कि दिग्विजय सिंह राव अन्य स्थान पोटलन में

कार्यरत है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से प्रकट नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

4. अतः अपील एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)